दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णीत : 12 अक्टूबर, 2021

फौ.अ. 7/2020

नेकराम ....अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री इंद्रजीत सिद्धू संग श्री जय प्रकाश, अधिवक्तागण दि.उ.न्या.वि.से.स.।

बनाम

राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अमित गुप्ता, राज्य के अति.लो.अभि संग उप.नि. अभिषेक कुमार, थाना अमर कॉलोनी।

कोरम:
माननीय न्यायाधीश सुश्री मुक्ता गुप्ता (मौखिक)

सुनवाई न्यायालय कक्ष में की गई है |

1. इस अपील के द्वारा, अपीलकर्ता ने दिनांक 11 सितंबर, 2019 के दंडादेश के निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें उसे लैंगिक

अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में पोक्सो अधिनियम) की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और दिनांक 17 सितंबर, 2019 के दंडादेश में उसे छह साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और उक्त अपराध के लिए रु 10,000/- का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में चार महीने के साधारण कारावास का निर्देश दिया गया था ।

2. अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला पीड़िता की गवाही पर आधारित है जो 5वीं कक्षा की छात्रा थी और कथित घटना के समय 10 वर्ष की थी । पीड़िता का दावा है कि दिनांक 18 फरवरी, 2017 को सुबह लगभग 7:45 बजे जब वह अपने स्कूल की ओर जा रही थी और उसके पिता अभि.सा.-5 उससे 10-15 कदम पीछे चल रहे थे, वह अपने स्कूल की ओर

जाने वाली सड़क पर मुड़ी, जब अपीलकर्ता ने अचानक उसे पकड़ लिया और उसके गाल पर जबरन चुंबन लिया। पीड़िता ने शोर मचाया, जिस पर उसके पिता भी मोड़ पर पहुंचे और आम लोगों की सहायता से अपीलकर्ता पर काबू पा लिया । इस बीच, पीड़िता के पिछले मकान मालिक का बेटा अभि.सा.-6 भी मौके पर आया और अपीलकर्ता को थाने ले जाया गया।

3. पीड़िता का बयान तुरंत दर्ज किया गया था जिसे प्र.अभि.सा-5/ए के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था और इसके आधार पर, भा.दं.सं. की धारा 354 और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत थाना अमर कॉलोनी में प्राथमिकी सं. 71/2017 दर्ज की गई थी। पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की गई और दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत उसका बयान भी प्र.अभि.सा-1/ए दर्ज किया गया। अभियोक्त्री की उम्र, अभि.सा.-2 के रूप में स्कूल के प्रधानाचार्य

की गवाही से साबित हुई, जिसने मूल विद्यालय अभिलेख को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और साबित किया कि पीड़िता का दाखिला कक्षा 1 में कराया गया था और वह कक्षा 5 उत्तीर्ण कर चुकी थी और उसकी जन्म तिथि 10 जून, 2006 उल्लिखित की गई थी। इस प्रकार, घटना की तारीख को, पीड़िता 10 साल की थी और इस प्रकार पोक्सो अधिनियम की धारा 2(डी) के तहत परिभाषित एक 'बालिका' थी ।

4. पीड़िता के पिता ने यह भी बयान दिया है कि मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अपीलकर्ता ने उनकी बेटी को पकड़ रखा था और उनकी बेटी के गाल पर वह अपना मुंह से छू रहा था और यह देखकर वह तुरंत अपनी बेटी को अपीलकर्ता के चंगुल से बचाने के लिए दौड़े। अपीलकर्ता को आम लोगों द्वारा पीटा गया और इस बीच अभि.सा.-6 भी मौके पर आया और वे

अपीलकर्ता को थाने ले गए । पीड़िता और अभि.सा.-5 के संस्करण की संपुष्टि अभि.सा.-6, पीड़िता के परिवार के पिछले मकान मालिक के बेटे द्वारा की गई है ।

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दिए गए अपने बयान में अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ आलिप्त करने वाले सबूतों को नकारा है और हालांकि उसने मौके पर अपनी उपस्थिति स्वीकार कर ली है, लेकिन उसने पीड़िता का लैंगिक उत्पीड़न करने से इनकार किया है । उसने कहा कि जब वह घटनास्थल से गुजर रहा था और पीड़िता विपरीत दिशा से आ रही थी, तो उसका हाथ गलती से पीड़िता को छू गया जिसके लिए उसने तुरंत माफी मांगी लेकिन पीड़िता के पिता माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उसकी पिटाई शुरू

कर दी । उसने कहा कि पीड़िता ने अपने पिता के कहने पर उसके खिलाफ झूठा बयान दिया है ।

6. यह तथ्य कि अपीलकर्ता मौके पर मौजूद था, इस प्रकार निर्विवाद है और एकमात्र मुद्दा जो शेष है वह यह है कि क्या अपीलकर्ता का हाथ गलती से पीड़िता को लगा या पीड़िता द्वारा कथित घटना हुई । अभियोक्त्री के संस्करण की संपुष्टि उसके पिता द्वारा पूरी तरह की गई है, जो उससे केवल 10-15 कदम पीछे था और उसे इस बीच स्कूल जाने वाली सड़क की ओर मुड़ना था और इसलिए वह एक प्राकृतिक गवाह था । घटना के तुरंत बाद अपीलकर्ता को थाने ले जाया गया और पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और अगले दिन दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया, जिससे छेड़छाड़ या सिखाने पढ़ाने की संभावना कम हो जाती है ।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जो कि पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराध के कारित होने को किसी भी प्रकार के संदेह से परे साबित करता है, इस न्यायालय को आक्षेपित दंडादेश निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिलती है और इसलिए इसे बरकरार रखा जाता है। जहां तक कि दंडादेश का संबंध है, पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत अति गंभीर लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंडनीय निर्धारित न्यूनतम दंड या तो किसी भी एक अवधि का कारावास है जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भरने के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है । अपीलकर्ता की कोई भी पिछली संलिप्तता नहीं है। विचारण के दौरान और अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता निरंतर कारावास में रहा है।

8. नतीजतन, यह न्यायालय दंडादेश को संशोधित करना उचित समझता है जिसमें अपीलकर्ता को पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए रु 10,000/- का जुर्माना अदा करने और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में चार महीने के साधारण कारावास को उपयुक्त मानता है। इस न्यायालय द्वारा यथा-संशोधित दंडादेश के पूर्ण होने पर, अधीक्षक केन्द्रीय कारागार तिहाड़ अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर देंगे, यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो ।

9. तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है।

10. इस आदेश की प्रति अपीलकर्ता को सूचनार्थ के साथ अभिलेखों के उद्दिनांकन हेतु तिहाड़ जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाए ।

11. इस न्यायालय की वेबसाइट पर आदेश अपलोड किया जाए।

फौ.वि.ज़. 9/2020

आवेदन निष्फल होने के कारण खारिज किया जाता है ।

(मुक्ता गुप्ता)
न्यायाधीश

12 अक्टूबर, 2021
जी.ए.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|